।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत केसरपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 3/9 तारीख रज्जू : 01.08.2016

01– चेतराम पुत्र कैलाश

02– संजू पुत्र कैलाश जातियान जाटव निवासीयान बल्लाणा तहसील व जिला अलवर –**प्रार्थीगण**

बनाम

01– तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर –**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक: 22.11.2021

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 408 रकबा 0.23 है०, 409 रकबा 0.20 है०, 401 रकबा 0.22 है० 411 रकबा 0.01 है०, 412 रकबा 0.23 है० कुल किता 5 रकबा 0.96 है० वाके ग्राम बल्लाणा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थीगण का नाम क्रमशः चेतराम व संजू है। पहचान व राशन कार्ड में हमारा नाम चेतराम व संजू अंकित है। कागजात माल में जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में कर्मचारियान द्वारा हमारा नाम चौधरी व संजय कुमार दर्ज कर दिया है जो कतई गलत है। जबकि हम प्रार्थीगण का नाम चेतराम व संजू है। तहसीलदार अलवर को कई बा रनाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया किन्तु उन्होने नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर कागजात माल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में प्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

नाम क्रमशः चौधरी व संजय कुमार जो दर्ज किया गया है उसके स्थान पार चेतराम व संजू पुत्रान कैलाश दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार अलवर को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में कैम्प ग्राम पंचायत केसरपुर में पेश हुई।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड यथा प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चेतराम के दस्तावेजात फोटोकापी आधार कार्ड नम्बर 299423721833 व फोटोकापी परीक्षा परिणाम पत्रक सत्र 2003–2004 कक्षा–6, राज० माध्यमिक विद्यालय, बुर्जा व संजय के दस्तावेजात आधार कार्ड 646643286062 व डुप्लिकेट परीक्षा परिणाम पत्रक वर्ष 2010–2011 कक्षा–8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बल्लाणा का मनन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे की प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य साबित होते हो। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित ना होने व साक्ष्य अभाव के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम–1956, साबित ना होने व साक्ष्य अभाव के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत केसरपुर में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)